

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायकले0प्रथम श्रेणी,हरिद्वार।
वाद संख्या 135 /2020-21

धारा 143 ज0वि0अधिनियम
मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड
परगना ज्वालापुर
तहसील व जिला हरिद्वार।
सरकार

नरेश चावला आदि

बनाम
निर्णय

प्रस्तुत वाद, वादीगण श्री नरेश चावला पुत्र श्री योगेन्द्र मोहन चावला निवासी 95 नया हरिद्वार एवं श्री नितिन जैन पुत्र स्व0 श्री पवन कुमार जैन निवासी एच-9 फेस-1 शिवलोक कालोनी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में ऑन लाईन प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत कर मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में स्थित गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100है0 व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.4090है0 व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.0410है0 कुल रकबई 0.7760है0 में से 0.1025है0 अपने हक एवं कब्जे की भूमि को निजी अद्यौगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अकृषिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वादीगण श्री नरेश चावला पुत्र श्री योगेन्द्र मोहन चावला निवासी 95 नया हरिद्वार एवं श्री नितिन जैन पुत्र स्व0 श्री पवन कुमार जैन निवासी एच-9 फेस-1 शिवलोक कालोनी परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 07.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100है0 व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.4090है0 व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.0410है0 कुल रकबई 0.7760है0 में से 0.1025है0 स्थित भूमि स्थित मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिस पर मौके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागबानी, पशुपालन आदि शामिल है का कार्य नहीं किया जा रहा है अपने हक एवं कब्जे की भूमि को अपने निजी अद्यौगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व निरीक्षक ज्वालापुर एवं तहसीलदार हरिद्वार का अवलोकन किया तहसीलदार हरिद्वार की जांच आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100है0 व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280है0 व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.4090है0 व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.0410है0 कुल रकबई 0.7760है0 में से 0.1025है0 भूमि स्थित मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिस पर मौके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागबानी, पशुपालन आदि शामिल है का कार्य नहीं किया जा रहा है अपने हक एवं कब्जे की भूमि को अपने निजी व्यवसायिक प्रयोजन हेतु ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है

.....पेज 02 पर.....

आदेश।

अतः तहसीलदार हरिद्वार की आख्या दिनांक 07.04.2021 एवं राजस्व निरीक्षक की स्थलीय जांच आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100 है० व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880 है० व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280 है० व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.4090 है० व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0410 है० कुल रकबई 0.7760 है० में से 0.1025 है० स्थित भूमि स्थित मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार जिस पर मौके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागबानी, पशुपालन आदि शामिल है का कार्य नहीं किया जा रहा है अपने हक एवं कब्जे की भूमि को अपने निजी अद्यौगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु ज०वि०अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। ज०वि०अधि० की धारा 143 से सम्बद्ध नियम 135 के उपनियम 5 एवं 6 के क्रम में रेवन्यू कोर्ट मैनुअल के पैरा 405 के निर्धारित दरो के अनुसार हदबन्दी का खर्चा कुल 2000.00 रुपये आंगणित किया गया। उक्त के क्रम में आवेदक द्वारा राजकीय कोष के लेखा शीर्षक 0029-भूराजस्व-800 अन्य प्राप्तियां-00 के द्वारा रुपये 2000.00 धनराशि जमा करा दी गयी है। प्रश्नगत भूमि का उपयोग अपने निजी व्यवसायिक प्रयोजन के लिये ही मान्य होगा तथा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिये मान्य नहीं होगा। उक्त अकृषिक भूमि का भू-राजस्व को नियमानुसार ग्राम भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की उक्त खाते से कम किया जाये। वाद मे राज्य सरकार एवं प्रभावी पक्षकार का हित सुरक्षित रहेगा। उक्तानुसार भू-अभिलेखों में अंकन हेतु परवाना अमलदरामद जारी होंगे। आदेश की एक प्रति उप निबंधक को भेजकर वाद आवश्यक कार्यवाही उपरांत पत्रावली अभिलेखागार में संचित होवे।

उपरोक्त आदेश निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है:-

1. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 19-06-2018 एवं आदेश के पैरा-14(5) " **The State Government Shall not be permit the use of agricultural land recorded in revenue records as agricultural land to be converted for group housing complexes taking into consideration the acute shortage of farming land in the state of Uttarakhand its is made clear that his will not apply to a farmer who wants to build a house for him self as per the UPZA & LR act Suitable legislation is made. is made in other words. there shall be ban on conversation of agricultural land orchard land for construction of group housing projects/complexes. including by the societies till the enactment of law**" का अक्षरण अनुपालन करेगा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विपरीत भूमि का उपयोग नहीं करेगा।
2. यदि वादी/आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य है तो वादी/आवेदक यदि भविष्य में भूमि को विक्रय करता है तो उसे नियमानुसार धारा 157क/157कक के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
3. यदि वादी/आवेदक प्रश्नगत भूमि अपने निजी प्रयोग/उपयोग मे नहीं लाया जाता है अथवा पत्रावली मे उल्लिखित तथ्यों के विपरीत तथ्य के प्रकाश में आने पर अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

दिनांक 21/07/2021

28/5/2024



(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिला मजिस्ट्रेट/

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,

हरिद्वार।

पत्रांक: 301 /अहलमद/2021 दिनांक 28/5/2021
न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक ले० प्रथम श्रेणी, हरिद्वार।
वाद संख्या 135 /2020-21

धारा 143 ज० वि० अधिनियम
मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड
परगना ज्वालापुर
तहसील व जिला हरिद्वार।
सरकार

नरेश चावला आदि

बनाम

परवाना अमलदरामद

बन्दोबस्त अधिकारी,
चकबंदी, स्थान रुड़की।

कृपया वाद उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/5/2021 के अन्तर्गत भूमि गाटा संख्या 1149/2 से क्षेत्रफल 0.0100 है० व गाटा संख्या 1150 से क्षेत्रफल 0.2880 है० व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.0280 है० व गाटा संख्या 1151 से क्षेत्रफल 0.4090 है० व गाटा संख्या 1152 से क्षेत्रफल 0.0410 है० कुल रकबई 0.7760 है० में से 0.1025 है० भूमि स्थित मौजा भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार को अपने निजी अद्यौगिक/व्यवसायिक प्रयोजन हेतु ज० वि० अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। प्रश्नगत भूमि का उपयोग अपने निजी व्यवसायिक उपयोग के लिए ही मान्य होगा तथा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिये मान्य नहीं होगा। उक्त अकृषिक भूमि का भू राजस्व का नियमानुसार ग्राम भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की उक्त खाते से कम किया जाये। वाद में राज्य सरकार एवं प्रभावी पक्षकार का हित सुरक्षित रहेगा।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 एवं आदेश के पैरा-14(5) "The State Government Shall not be permit the use of agricultural land recorded in revenue records as agricultural land to be converted for group housing complexes taking into consideration the acute shortage of farming land in the state of Uttarakhand its is made clear that his will not apply to a farmer who wants to build a house for him self as per the UPZA & LR act Suitable legislation is made. is made in other words. there shall be ban on conversation of agricultural land orchard land for construction of group housing projects/complexes. including by the societies till the enactment of law" का अक्षरण अनुपालन करेगा और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विपरीत भूमि का उपयोग नहीं करेगा।

1. यदि वादी/आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य है तो वादी/आवेदक यदि भविष्य में भूमि को विक्रय करता है तो उसे नियमानुसार धारा 157क/157कक के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
2. यदि वादी/आवेदक प्रश्नगत भूमि अपने निजी प्रयोग/उपयोग में नहीं लाया जाता है अथवा पत्रावली में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत तथ्य के प्रकाश में आने पर अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

अतः उपरोक्तानुसार अभिलेखों में अमलदरामद के उपरांत परवाना इस न्यायालय को एक सप्ताह में लौटाना सुनिश्चित करें।


(गोपाल सिंह चौहान)

उप जिलाधिकारी/सहायक ले० प्र० श्रेणी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि- उप निबन्धक हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/सहायक ले० प्र० श्रेणी,
हरिद्वार।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

कोषागार प्रपत्र-209 (A) (संशोधित)

प्रपत्र संख्या - 43 ए (1)

(प्रस्तर 471 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा

SBI Bank, रोशनाबाद, लक्सर, रुड़की, हरिद्वार

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

नरेश चहल, कानूनी,

2. पता

विानी, हरिद्वार

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है

143, 6005 रुमठ

5. चालान की सकल(Gross)राशि

6. चालान की निबल(Nett)राशि

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण, लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर/मुहर सहित

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक

उप मुख्य-शीर्षक

नकद धन/भुगतान/अन्तरण
भारतीय स्टेट बैंक/SBI (02198)
रोशनाबाद, हरिद्वार/Roshnabad, Haridwar
27 MAY 2021
PF-4579990 (AMIT SINGH)

ब्यौरेवार शीर्षक

(धनराशि अंको में)

0021

00

000

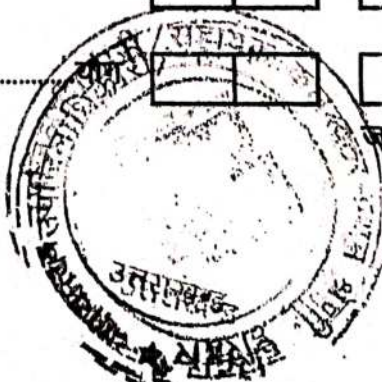
00

2000

धनराशि (शब्दों में)

दो हजार चार सौ,

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित



जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर